फर्द अहकाम

भैरू बनाम मंगला वगै.

न्यायालय Acm-II

संख्या TI No - 128/2008

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	22/3/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बावत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। वाद का निस्तारण तनकीयात कायम की जाकर वाद साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर किया जाना है। तब तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है अत: वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नं. 4174 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नं. 7713 एवं 7714 कुल किता 2 रकबा 0.89 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम कानकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे एवं

फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	विक्रय, रहन तथा हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय आज दिनांक 22/3/19 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय